


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

साँची स्मार्ट मिल्क पार्लर निर्माण करवाने,
इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर व वीजी कूलर
200 लीटर दुग्ध संघ से एन.डी.डी.बी.
योजन्तर्गत प्राप्त कर साँची दूध एवं दुग्ध
उत्पाद का विक्रय करने हेतु
आवेदन प्रपत्र



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लाट, उज्जैन-456001
दूरभाष— 2527061, 2527068, 2527066



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

Ujjain Sahakari Dugdh Sangh Mydt.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)



An ISO-9001 : 2000
& ISO 22000 : 2005

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स 106, उज्जैन - 456010, मध्य प्रदेश PAN No. AAAAU0051C
Maxi Road, P.B. No. 106, Ujjain - 456010, Madhya Pradesh
E-mail : udsmis@yahoo.com
PHONE : 2527061, 2527068, 2527066 Fax. 0734-2527063 Tin No. 23692601126

साँची स्मार्ट मिल्क पार्लर का निर्माण करवाने, इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर एवं वीजी कूलर 200 लीटर एन.डी.डी.बी. योजनान्तर्गत प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा ऐसे व्यक्ति/संस्था जिनके पास स्वयं की जमीन है एवं उक्त स्थान से सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय करना चाहते हैं साथ ही ऐसे व्यक्ति/संस्था जिन्हे दुग्ध संघ से सांची मिल्क पार्लर आवंटित हुआ है एवं वह पुरानी गुमठी के स्थान पर नवीन सांची स्मार्ट पार्लर बनवाना चाहते हैं तथा ऐसे व्यक्ति/संस्था जिनके पास स्वयं की दुकान/किराये की दुकान है एवं वह उक्त दुकान से सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय करने के इच्छुक हैं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। दुग्ध संघ द्वारा योजनान्तर्गत निम्नलिखित सामग्री प्रदान करने पर निम्नानुसार छूट दी जावेगी।

क्रमांक	सामग्री	योजनान्तर्गत अंतर्गत सामग्री प्रदाय संख्या	योजनान्तर्गत अनुदान राशि (छूट)
01	स्मार्ट मिल्क पार्लर	25	150000.00
02	वीजी कूलर 200 लीटर	100	10000.00
03	इन्सुलेटेड बॉक्स	100	1200.00

इस हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक वेबसाईट www.sanchidairy.com के माध्यम से आवेदन प्रपत्र दिनांक 16.05.2023 से डाउनलोड कर उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय, मक्सी रोड़, उज्जैन में भरकर दिनांक 15.06.2023 तक जमा कर सकते हैं। हितग्राहियों का चयन पात्रता अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जावेगा।

अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साईट www.sanchidairy.com पर लॉग ऑन करें या निम्नलिखित दूरभाष पर संपर्क करें।

गोकुल कुशवाह 9131744500	पी.एस.राणा 9691834372	धर्मन्द्र धाकड़े 8319630904	मुकेश कारपेन्टर 9425918540	अजय कुशवाह 7000472762
----------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------

अतुल भाटी
9770036003

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
डेयरी प्लांट-मक्सीरोड़, उज्जैन (म.प्र.) 456010

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

(फोटो सलंगन करना अनिवार्य है)

महोदय,

1. आवेदक का नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. जन्मतिथि :
4. शैक्षणिक योग्यता :
5. वर्तमान कार्य :
6. दुग्ध संघ के अधिकृत पार्लर :

स्थल का नाम जहाँ नवीन

सॉची स्मार्ट मिल्क पार्लर

निर्माण करवाना चाहते हैं।

कार्य आदेश की छाया प्रति।

प्लेटिनम पार्लर	13x12 sq. ft	Rs. 4,10,640/-	()
गोल्डन पार्लर	11.0x11.5 sq.ft.	Rs. 3,64,462/-	()
सिल्वर पार्लर	7.5x10 sq.ft	Rs. 2,80,840/-	()
जो स्मार्ट पार्लर बनवाना चाहते हैं उस पर सहि (✓) का निशान लगाये।			

7. यदि स्वयं की स्वामित्व की

जमीन जहाँ पर सॉची स्मार्ट मिल्क

पार्लर का निर्माण करवाना चाहते हैं।

उसका पता एवं जमीन के स्वामित्व के

दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करे।

प्लेटिनम पार्लर	13x12 sq. ft	Rs. 4,10,640/-	()
गोल्डन पार्लर	11.0x11.5 sq.ft.	Rs. 3,64,462/-	()
सिल्वर पार्लर	7.5x10 sq.ft	Rs. 2,80,840/-	()
जो स्मार्ट पार्लर बनवाना चाहते हैं उस पर सहि (✓) का निशान लगाये।			

8. वे आवेदक जो केवल वीजी कूलर 200

लीटर दुग्ध संघ से योजनान्तर्गत प्राप्त करना

चाहते हैं उनकी दुकान नाम व पता

9. वे आवेदक जो केवल इन्सुलेटेड बॉक्स
 50 लीटर दुग्ध संघ से योजनान्तर्गत प्राप्त करना
 चाहते है उनकी दुकान नाम व पता
10. स्थायी पता एवं मो.नं. :
11. आधार कार्ड नम्बर :
 (छायाप्रति प्रति संलग्न करें)
12. बैंक खाता क्रमांक :
13. बैंक का नाम :
 (पास बुक की छायाप्रति / केन्सल चेक संलग्न करना है।)
14. फूड लाइसेंस नम्बर, : (छायाप्रति संलग्न करें)
 यदि नवीन कार्य प्रारम्भ किया है तो
 फूड लाइसेन्स आवेदन की रसीद संलग्न करें।
15. चयनित व्यक्ति को शासन द्वारा वर्तमान / भविष्य में प्रभावशील समस्त कानून / नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

मेरे द्वारा गई दी जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य प्रमाणित होती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य, आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

—आवेदन की आवश्यक शर्तें—

- 1— ऐसे व्यक्ति/संस्था जिनके पास स्वयं की जमीन है एवम् उक्त स्थान से सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय करना चाहते हैं आवेदन के पात्र होगे।
- 2— ऐसे व्यक्ति/संस्था जिन्हे दुग्ध संघ से सांची मिल्क पार्लर आवंटित हुआ है। आवेदन के पात्र होगे।
- 3— ऐसे व्यक्ति/संस्था जिनके पास स्वयं की दुकान/किराये की दुकान है एवम् वह उक्त दुकान से सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय करने का इच्छुक है आवेदन करने के पात्र होगे (केवल वीजी कूलर 200 लीटर/इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर हेतु)।
- 4— दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किये गये पार्लर/वीजी कूलर 200 लीटर/इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर हस्तान्तरण, किराये पर/विक्रय योग्य नहीं होगे इन पर मालिकाना हक दुग्ध संघ का ही रहेगा। इनके माध्यम से हितग्राहियों को सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थों के दिये गये लक्ष्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- 5— योजनान्तर्गत सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर वीजी कूलर 200 लीटर/इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर हेतु अनुदान राशि के अतिरिक्त शेष राशि अग्रिम रूप से दुग्ध संघ में जमा करना होगी।
- 6— दुग्ध संघ द्वारा दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण नहीं करने पर दुग्ध संघ हितग्राहियों से योजनान्तर्गत दी गई सामग्री (सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर, वीजी कूलर 200 लीटर/इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर) वापस लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा, सामग्री वापसी करने पर हितग्राही द्वारा सामग्री के रखरखाव की स्थिति के अनुसार ही दुग्ध संघ में जमा राशि वापस की जायेगी।
- 7— आवेदनकर्ता को संलग्न प्रारूप में पृथक—पृथक सामग्री के लिये पृथक—पृथक शपथ पत्र रु. 50.00 रुपये पेपर पर प्रस्तुत करना होगा तभी आवेदन मान्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

एन.डी.डी.बी. द्वारा विपणन गतिविधियों को मजबूत करने हेतु योजनान्तर्गत प्राप्त
अनुदान का उपयोग सांची दूध, दुग्ध पदार्थों का विक्रय करने हेतु
शपथ पत्र
(रु. 50 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे मेरी संस्था को आवंटित सांची मिल्क पार्लर (पुरानी गुमठी) के स्थान पर सांची नवीन स्मार्ट मिल्क पार्लर का निर्माण करने का इच्छुक हूँ। इस हेतु मैं उज्जैन दुग्ध संघ मे सांची नवीन स्मार्ट मिल्क पार्लर (..)की निर्माण राशि रु. में अनुदान राशि रूपए 150000 के पश्चात् शेष राशि रु. जमा करने को तैयार हूँ। मेरे द्वारा दुग्ध संघ मे पार्लर निर्माण के पूर्व उक्त राशि अग्रिम रूप से जमा करवाई जावेगी तथा सांची स्मार्ट पार्लर निर्माण के पश्चात् उक्त पार्लर मेरे द्वारा हस्तान्तरित/किराये पर नहीं दिया जावेगा एवम् उक्त पार्लर से सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जावेगा।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य, आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

एन.डी.डी.बी. द्वारा विपणन गतिविधियों को मजबूत करने हेतु योजनान्तर्गत प्राप्त
अनुदान का उपयोग सांची दूध, दुग्ध पदार्थों का विक्रय करने हेतु
शपथ पत्र
(रु. 50 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे/मेरी संस्था के पास स्वयं के स्वामित्व की जमीन उपलब्ध है जो कि के स्थान पर स्थित है। उक्त स्थान पर मैं/मेरी संस्था सांची नवीन स्मार्ट मिल्क पार्लर का निर्माण करने का इच्छुक हूँ/है। इस हेतु मैं उज्जैन दुग्ध संघ मे सांची नवीन स्मार्ट मिल्क पार्लर (.....)की निर्माण राशि रु. में अनुदान राशि रूपए 150000 के पश्चात् शेष राशि रु. जमा करने को तैयार हूँ। मेरे द्वारा दुग्ध संघ मे पार्लर निर्माण के पूर्व उक्त राशि अग्रिम रूप से जमा करवाई जावेगी तथा सांची स्मार्ट पार्लर निर्माण के पश्चात् उक्त पार्लर मेरे द्वारा हस्तान्तरित/किराये पर नहीं दिया जावेगा एवम् उक्त पार्लर से सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जावेगा।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य, आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

एन.डी.डी.बी. द्वारा विपणन गतिविधियों को मजबूत करने हेतु योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग सांची दूध, दुग्ध पदार्थों का विक्रय करने हेतु

शपथ पत्र

(रु. 50 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम
पिता
आयु
निवासी

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे/मेरी संस्था को सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय करने हेतु वीजी कूलर 200 लीटर की आवश्यकता है।

अतः मैं/मेरी संस्था इस हेतु उज्जैन दुग्ध संघ मे वीजी कूलर 200 लीटर की कुल राशि में अनुदान राशि रुपए 10000 के पश्चात् शेष राशि रु. जमा करने को तैयार हूँ। मेरे द्वारा दुग्ध संघ मे वीजी कूलर 200 लीटर हेतु उक्त राशि अग्रिम रूप से जमा करावाई जावेगी तथ वीजी कूलर 200 लीटर दुग्ध संघ से प्राप्त करने के पश्चात् इसमे केवल सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों का ही विक्रय किया जावेगा। तथा किसी भी दशा मे दुग्ध संघ से प्राप्त वीजी कूलर 200 लीटर का मेरे द्वारा हस्तान्तरित/किराये/विक्रय नहीं किया जावेगा एवम् सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जावेगा।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य, आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची मे दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

एन.डी.डी.बी. द्वारा विपणन गतिविधियों को मजबूत करने हेतु योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग सांची दूध, दुग्ध पदार्थों का विक्रय करने हेतु

शपथ पत्र
(रु. 50 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम
पिता
आयु
निवासी

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे/मेरी संस्था को सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय करने हेतु इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर की आवश्यकता है।

अतः मैं/मेरी संस्था इस हेतु उज्जैन दुग्ध संघ मे इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर की कुल राशि मैं अनुदान राशि रूपए 1200 के पश्चात् शेष राशि रु. जमा करने को तैयार हूँ। मेरे द्वारा दुग्ध संघ मे इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर हेतु उक्त राशि अग्रिम रूप से जमा करावाई जावेगी तथ इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर दुग्ध संघ से प्राप्त करने के पश्चात् इसमे केवल सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों का ही विक्रय किया जावेगा। तथा किसी भी दशा मे दुग्ध संघ से प्राप्त इन्सुलेटेड बॉक्स 50 लीटर का मेरे द्वारा हस्तान्तरित/किराये/विक्रय नहीं किया जावेगा एवम् सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जावेगा।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य, आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता